मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2015 (फाल्गुन 4, शक सम्वत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10:31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 22 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये (द्वितीय चक्र सहित) तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 66 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 75 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. बहिर्गमन

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा कृषकों की आत्महत्याओं को न रोके जाने सम्बन्धी प्रश्न संख्या 12 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन

श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा प्रदेश में कृषकों की आत्महत्याओं को न रोक पाने संबंधी श्री रामनिवास रावत, सदस्य के प्रश्न संख्या 12 (क्र 735) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल में व्याप्त भ्रष्टाचार से छात्रों को परेशानियों का सामना करने,

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की उज्जैन संभाग में बच्चों की बीमारियों से बचाव के लिये स्वास्थ्य शिविर लगवाये जाने,

(3) श्री अजय सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले में मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत उपयंत्रियों को सेवा निवृत्ति के बाद भी वेतन का भुगतान न किये जाने,

(4) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की प्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन न मिलने,

(5) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण का कार्य शुरू न होने,

(6) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले में पुलिसकर्मी के रिश्तेदार द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ किये जाने पर कार्यवाही न किये जाने,

(7) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के मदरसों में छात्रवृत्ति का वितरण न होने,

(8) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की हरदा जिले के ग्राम झाड़तलाई एवं पोखरनी में सिंचाई हेतु नहर से पानी न मिलने,

(9) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की सेवढ़ा क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी न मिलने के बावजूद, सिंचाई कर वसूले जाने तथा

(10) इंजी प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली क्षेत्र के ग्राम पथरिया जाट से पामाखेड़ी तक सड़क का निर्माण न होने सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

4. गर्भगृह में प्रवेश एवं कार्यवाही में व्यवधान

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा व्यापम मामले को लेकर गर्भगृह में प्रवेश कर नारेबाजी की गई. इस कारण, सदन में व्यवधान के मध्य कार्यवाही जारी रही.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने उनके विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3 - 49 - 2014 - तेरह, दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 पटल पर रखी.

(2) श्री अंतर सिंह आर्य, श्रम मंत्री ने मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 पटल पर रखा.

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का उन्तीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 पटल पर रखा.

6. ध्यान आकर्षण

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य ने प्रदेश में अमानक बीज प्रदाय करने वाली कंपनियों पर कार्यवाही न होने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण व्यापम मामले को लेकर गर्भगृह में आकर, लगातार नारेबाजी करते रहे, अत्यधिक व्यवधान होने के कारण 11.43 बजे कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाकर, 11.55 बजे पुन: समवेत हुई.)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(2) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इंदौर में घटिया स्तर के विद्युत मीटर लगाये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गई:-

(1) श्री इंदरसिंह परमार (जिला-शाजापुर)
(2) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी (जिला-बड़वाह)
(3) श्री केदारनाथ शुक्ल(जिला-सीधी)
(4) डॉ. मोहन यादव(जिला-उज्जैन)

8. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिनांक 18 फरवरी, 2015 को प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर, दिनांक 20 फरवरी, 2015 को प्रारम्भ हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भी भाग लिया गया :-

(3) श्री रामेश्वर शर्मा
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) श्री ओमप्रकाश सखलेचा

अपराह्न 1.00 बजे कार्यवाही भोजनावकाश के लिए स्थगित होकर अपराह्न 2.37 बजे पुन: समवेत हुई.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(6) श्रीमती शीला त्यागी
(7) श्री सुन्दरलाल तिवारी

(8) श्री दुर्गालाल विजय
(9) श्री कमलेश्वर पटेल
(10) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
(11) श्री दिनेश राय
(12) श्रीमती ऊषा चौधरी
(13) श्री मानवेन्द्र सिंह
(14) श्री हरदीप सिंह डंग
(15) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक

सभापति महोदय (श्री रामनिवास रावत) पीठासीन हुए.

(16) श्री शैलेन्द्र पटेल
(17) श्री के.के. श्रीवास्तव
(18) श्री जयवर्द्धन सिंह
(चर्चा जारी)

अपराह्न 5.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2015 (5 फाल्गुन, शक सम्वत् 1936) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 23 फरवरी, 2015